(Form RSL-4)
(प्रारूप सं. आर एस एल - 4)

RAJYA SABHA/राज्य सभा

NOTICE UNDER RULE 180 (A) FOR MENTIONING A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE IN THE HOUSE (SPECIAL MENTION)

नियम 180(क) के अधीन सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय (विशेष उल्लेख) का उल्लेख करने की सूचना

Date/ दिनांक ……

FROM/प्रेषक

....., M.P./संसद सदस्य

TO/सेवा में,
THE SECRETARY-GENERAL/महासचिव,
RAJYA SABHA/राज्य सभा,
NEW DELHI/नई दिल्ली

Sir/Madam, महोदय/महोदया,

I request the Chairman to permit me to mention the following Matter of Urgent Public Importance in the House on ……..
(date)

मै सभापति से अनुरोध करता हूं कि मुझे सभा में .....को
(दिनांक)
निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए:-

Subject/ विषय :- .....

(TEXT OF THE MATTER TO BE MENTION)

(उल्लेख किये जाने वाले विषय का पाठ)